प्रेस नोट **01.09.2024**

दिनांक 24/25.08.2024 की रात एक युवक को लोहे की रॉड से मारकर हत्या मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 01.09.2024 को जरिये मुखबिर की सूचना पर मुस्कुरा मोड नदवासराय के पास से प्रकाश में आये अभियुक्त हरिश्चन्द्र यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी हुडरही थाना घोसी जनपद मऊ से पूछताछ की गयी तो हरिश्चन्द्र यादव मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मृतक राकेश यादव पुत्र सूर्यभान यादव ग्राम हुडरही थाना घोसी जनपद मऊ की हत्या करना बताया । तथा हरिश्चन्द्र यादव से कडाई से पूंछताछ के दौरान बताया गया कि मृतक राकेश यादव मेरी चचेरी बहन से बात चीत करता था हम लोग कई बार उसको मना किये थे लेकिन नही माना तो हम लोग अपने मुर्गी फारम के बगल मे चकरोड तिराहे के पास खेत के किनारे डण्डा व लोहे के राड से मारे थे जिससे उसकी मृत्यु हो गयी हम दोनो ने उसके शव को मुर्गी फारम से आगे धान के खेत मे फेंक दिये थे तथा डण्डा व राड मुर्गी फारम के अन्दर बोरी मे छिपाकर रखा था मुर्गी फारम के अन्दर बोरी मे छिपाकर रखे दो अदद् हंथियार डण्डा निशादेही पर समय करीब 2.10 बजे बरामद कर हिरासत पुलिस लिया गया । जो थाना स्थानीय पर पुर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 377/2024 धारा 3(5),103(1),238 बीएनएस से संबंधित थे। पकडे गये अभियुक्त हरिश्चन्द्र यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी हुडरही थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा 01 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. हरिश्चन्द्र यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी हुडरही थाना घोसी जनपद मऊ ।

बरामदगी–

1. एक अदद डण्डा व एक अदद लोहे की रॉड।

गिरफ्तारकर्ता पुलिसटीम–

प्र0नि0 राज कुमार सिंह थाना घोसी, व0उ0नि0 कमलाकान्त वर्मा, उ0नि0 मोती लाल पटेल, उ0नि0 राम अवध, का0 अनिल चौधरी, का0 अंगद सेन, का0 प्रशान्त यादव थाना घोसी जनपद मऊ।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 31/01.09.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर बढुआगोदाम के पास से मु0अ0सं0 299/24 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र स्व0 रामश्री निवासी इमिलियाडीह थाना सरायलखन्सी व सरायलखन्सी पुलिस द्वारा बेलचौरा के पास से मु0अ0सं0 335/24 धारा 76,352,351(2),333 बीएनएस में वांछित अभिषेक गौतम पुत्र अवधेश कुमार निवासी मनसड़ी थाना रानीपुर

व मधुबन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 247/24 धारा 118(1), 352, 351(2) में अभियुक्त लोरिक उर्फ वकिल पुत्र सुर्यभान निवासी इब्राहिमाबाद थाना मधुबन के कब्जे से एक अदद नाजायज तलवार बरामद किया गया तथा मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 34/24 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी वादिकपुरा थाना हरिहरा जनपज फिरोजाबाद उक्त अभियोग में धारा 376(3) व ¾(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 02 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 56 मामलों में से 26 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 01.09.2024 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 56 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 26 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 02 दंपति रुबी/आनन्द,अफसाना/ईरशाद आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 07 मामले में एफआईआर का निर्णय तथा 17 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 15.09.2024 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0आ0 पुनम मौर्या उपस्थित रही।